भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3355

07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और यू-विन प्लेटफॉर्म के लिए बजट आवंटन

3355. श्री लालजी वर्मा:

श्री नीरज मौर्य:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और यू-विन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आवंटित कुल बजट का ब्यौरा तथा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल अवसंरचना पर किए गए वास्तविक व्यय का राज्य-वार और उत्तर प्रदेश का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती और खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) कार्ड बनाने तथा टीकाकरण ट्रैकिंग के लंबित मामलों का उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार ने जटिल पोर्टल प्रक्रियाओं अथवा सर्वर के बंद रहने के कारण पंजीकरण से वंचित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को चिन्हित करने तथा उन्हें वैकल्पिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता से वंछित गरीब और पिछड़े वर्गों को एकीकृत करने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को एबीडीएम के कार्यान्वयन हेतु तैनात मानव संसाधनों के लिए सहायता, विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलापों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एबीडीएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित बजट तथा किए गए व्यय का विवरण अनुलग्नक में है।

समावेशन एबीडीएम के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि इस मिशन का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। एबीडीएम में ऐसे क्षेत्रों के लिए सहायोग-आधारित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित हो सकती है। एबीएचए के सृजन हेतु ऑफलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों अथवा हार्डवेयर की अनुपलब्धता अथवा दोनों परिस्थितियों में भी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। सरकार द्वारा संदर्भित पीएचआर (व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड) एप्लीकेशन, जैसे कि आरोग्य सेतु, बहुभाषी तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल है, जिससे डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

यू-विन अवसंरचना का विकास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सौजन्यपूर्ण समर्थन से किया गया है। यू-विन की प्रमुख विशेषताओं में 'कभी भी' एवं 'कहीं भी' टीकाकरण सेवाओं की सुविधा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) तथा बाल एबीएचए का सृजन, स्व-पंजीकरण मॉड्यूल, स्वचालित एसएमएस अलर्ट, क्यूआर-कोड आधारित ई-टीकाकरण प्रमाण-पत्र तथा टीकाकर्मियों द्वारा डेटा प्रविष्टि के लिए ऑफलाइन सुविधा शामिल हैं। ऑफलाइन सुविधा के माध्यम से कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में लाभार्थियों का पंजीकरण तथा टीकाकरण संबंधी विवरण दर्ज किया जा सकता है। यह सुविधा इंटरनेट सेवा में व्यवधान अथवा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी निर्बाध रूप से सेवाओं का संचालन सुनिश्चित करती है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित बजट एवं किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**बजट आवंटन (वित्त वर्ष 2025-26)**	**वास्तविक व्यय (वित्त वर्ष 2025-26)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.18	0.49
2.	आंध्र प्रदेश	7.90	7.90
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.19	1.34
4.	असम	2.50	1.22
5.	बिहार	8.37	8.37
6.	चंडीगढ़	2.19	0.58
7.	छत्तीसगढ़	2.88	1.95
8.	दिल्ली	3.09	0.35
9.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	2.18	0.28
10.	गोवा	2.19	1.53
11.	गुजरात	4.79	2.51
12.	हरियाणा	2.67	2.42
13.	हिमाचल प्रदेश	3.00	0.53
14.	जम्मू और कश्मीर	3.05	0.80
15.	झारखंड	4.01	2.66
16.	कर्नाटक	4.80	1.34
17.	केरल	2.87	1.94
18.	लद्दाख	2.18	1.12
19.	लक्षद्वीप	2.18	0.45
20.	मध्य प्रदेश	3.68	3.68
21.	महाराष्ट्र	5.17	3.43
22.	मणिपुर	2.20	1.64
23.	मेघालय	2.20	2.02
24.	मिजोरम	2.19	1.41
25.	नागालैंड	2.19	1.31
26.	ओडिशा	4.64	0.00

27.	पुडुचेरी	2.19	1.64
28.	पंजाब	4.75	4.75
29.	राजस्थान	6.22	6.22
30.	सिक्किम	2.18	0.32
31.	तमिलनाडु	4.05	2.81
32.	तेलंगाना	3.24	0.84
33.	त्रिपुरा	2.21	1.42
34.	उत्तर प्रदेश	5.41	5.19
35.	उत्तराखंड	3.03	1.57
36.	पश्चिम बंगाल	5.05	2.29
